fssai **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण**

*विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक*

तुरंत जारी करने के लिए

**प्रेस विज्ञप्ति**

# एफ.एस.एस.ए.आई स्वस्थ भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध

**नई दिल्ली, 07 जून, 2021 : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई) ने आज विश्व खाद्य दिवस मनाया। इस वर्ष का विषय 'स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित खाद्य' से इस बात की महत्ता उजागर होती है कि खाद्य सुरक्षा सरकार, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य एक साझा जिम्मेदारी है तथा हमारे द्वारा सेवित खाद्य को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर बनाए रखने में हम सबकी भूमिका है। कोविड-19 महामारी के दुबारा आ जाने से खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य, रोग-प्रतिरोध शक्ति और सही खाद्य पर ध्यान केंद्रित हो गया है। बाजार में सुरक्षित खाद्य की उपलब्धता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि खाद्य से होने वाले किसी भी संदूषण से स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।**

**इस अवसर पर डॉ. हर्ष वर्धन, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने प्रकाश डाला कि विश्व खाद्य दिवस पूरे संसार में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है कि खाद्य न केवल कृषि अथवा व्यापार की वस्तु है, बल्कि यह जन स्वास्थ्य का मुद्दा भी है। अत: खाद्य सुरक्षा को जन स्वास्थ्य के अनिवार्य कर्तव्य के रूप में देखा जाना है। हमें यह सुनिश्चित कराने की जरूरत है कि हमारा खाद्य सुरक्षित और पोषक हो तथा खाद्य सुरक्षा खेत से मेज तक के सभी चरणों में बनाए रखी जाए तथा सभी यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हो जाएँ कि यह एक साझा जिम्मेदारी है। खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य और पोषण नीतियों का एक अनिवार्य घटक है। खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, बाजार में पहुँच तथा सही खाद्य प्रणाली में योगदान देने के लिए खाद्यजनित जोखिमों को रोकने, उनका पता लगाने और उनका प्रबंधन करने में सहायता की कार्रवाई के रूप में प्रेरित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए।**

**श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने खाद्य आपूर्ति श्रंखला से जुड़े सभी हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने खाद्य सुरक्षा की महत्ता तथा असुरक्षित खाद्य संबंधी मुद्दों से निपटने में सबकी साझा कार्रवाई की महत्ता का उल्लेख किया। उन्होंने आगे कहा कि इस महामारी ने हमारी आँखें खोल दी हैं, क्योंकि इसने हमें भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाने तथा मौजूदा परिस्थिति में अपनी खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित बनाए रखने का अवसर प्रदान किया है।**

**विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस समारोह के अंग के रूप में एफ.एस.एस.ए.आई ने 'सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और सही आहार' के संदेश की प्रेरणा देकर अपनी रचनात्मकता का परिचय देने के लिए स्कूली बच्चों के लिए आयोजित ऑनलाइन ईट राइट रचनात्मकता चुनौती के विजेताओं की घोषणा की। देश भर से 26,000 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें से 640 प्रविष्टियों को क्षेत्रीय विजेता के रूप में घोषित किया गया और 250 प्रविष्टियों की राष्ट्रीय विजेता के रूप में पहचान की गई। आगे, अहमदाबाद, नागपुर, चेन्नई, लखनऊ और पुणे को पिछले एक वर्ष के दौरान जन जागरूकता गतिविधियाँ करने के लिए नेटप्रोफैन चुनौतियों के विजेताओं के रूप में चुना गया।**

**इस अवसर पर एफ.एस.एस.ए.आई ने एक देशी खाद्य परीक्षण उपकरण -** प्रीसीजन आयोडीन वैल्यू एनालाइजर (पीआईवीए) - को भी मान्यता प्रदान की। इस देशी किट का निर्माण सीएसआईआर ने केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईओ) के सहयोग से किया है और इससे खाद्य तेलों तथा वसाओं में आयोडीन वैल्यू (अनसैच्युरेशन की मात्रा) का जल्दी, सस्ते और बेहतर तरीके से पता लगाया जा सकता है। पीआईवीए का नारियल, सूरजमुखी, सरसों के तेल, पॉम, चावल के भूसे, सोयाबीन, गूँगफली, जैतून के तेल और घी के लिए अंशांकन किया गया है। यह नया विकास द्रुत और उन्नत खाद्य परीक्षण किटें बनाकर खाद्य परीक्षण क्षमता को सशक्त बनाने के चालू प्रयासों का अंग है। एफ.एस.एस.ए.आई ने अब तक द्रुत खाद्य परीक्षण की 65 किटों/युक्तियों का अनुमोदन किया है और यह किट अनुमोदित किटों/उपकरण की सूची में नवीनतम है।

पिछले एक वर्ष के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई ने एक समझौता ज्ञापन करके विशेष कैंप लगाने, निरीक्षण करने, जागरूकता अभियान चलाने इत्यादि के लिए आवश्यक अवसंरचना तथा, परीक्षण उपकरणों के विकास और संसाधानों को जुटाने के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की है। एफ.एस.एस.ए.आई ने एमओयू के अंग के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को लगभग ₹ 65 करोड़ वितरित किए।

एफ.एस.एस.ए.आई ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपेक्षित सुरक्षित खाद्य और स्वच्छता प्रोटोकॉलों पर अपने प्रमुख कार्यक्रम - खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक) के अंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए हैं। अब तक कोविड प्रशिक्षण पाठ्क्रम के अंतर्गत 2.6 लाख से अधिक खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों (एफएसएस) को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

2020 के दौरान एफ.एस.एस.ए. आई के ऑनलइन नेटवर्क का राष्ट्रव्यापी पुनरुद्धार भी हुआ। एफ.एस.एस.ए.आई ने क्षेत्रगत स्थिति पर तुरत कार्रवाई की तथा 'कारोबार सरलता' के साथ दक्षता बढ़ाने के लिए विभिन्न विनियमात्मक सुधार भी किए, जिनमें लइसेंसिंग और पंजीकरण के आवदनों का सरलीकरण, विवरणी फाइल करना, लाइसेंस की वैधता, निरीक्षण तथा अन्य अनुपालन शामिल हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कारोबार इन कठिन दिनों में भी कौशल के साथ चलते रहें। लाइसेंसिंग और पंजीकरण के मौजूदा पोर्टलों में भी नवीन युगीन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसे खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस) कहा गया, के माध्यम से सुधार किया गया तथा विभिन्न ई-सेवाओं की प्रदायगी के लिए बेहतर ई-शासन प्रणालियाँ भी आरंभ गईं।

विनियमगत क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण विनियमों को अंतिमित किया गया, यथा खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार) विनियम, 2019. यह विनियम स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्यकर आहार सुनिश्चित कराने के लिए है। इसके अंतर्गत उच्च वसा, लवण और शर्करा वाले खाद्यों का विज्ञापन स्कूल परिसर में करने की मनाही की गई। सभी वसाओं और तेलों में औद्योगिक टीएफए (ट्रांस फैटी एसिड) जनवरी, 2021 तक 3 प्रतिशत से अनधिक तथा जनवरी, 2022 तक 2 प्रति शत से अनधिक रखना विहित किया गया है। इनके साथ-साथ खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्श) विनियम, 2020 भी अधिसूचित किए गए, जिन द्वारा पूर्व पैकेजबंद खाद्य पदार्थों की लेबलिंग अपेक्षाएँ निर्धारित की गईं। एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियमों में सुधार के लिए कुछ संशोघन भी प्रस्तावित किए हैं। खाद्य विनियामक आयात निर्मुक्ति को सुविधाजनक बनाने तथा उसमें तेजी लाने के लिए भी नए विनियम जारी कर रहा है। ऐसा प्रवेश के स्थानों में कवरेज को बढ़ाकर किया जा रहा है, जिससे खाद्य आयातों का गुणता आश्वासन और परीक्षण सुनिश्चित हो सके।

सावधिक जोखिम-आधारित निरीक्षणों, तृतीय पक्ष ऑडिटों, निगरानी अभियानों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे बाजार में उपलब्ध खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणता सुनिश्चित की जा सके, जैसे अपमिश्रित खाद्य तेल, खोआ और शहद की बिक्री खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के प्रयासों का महत्वपूर्ण अंग रहा।

एफ.एस.एस.ए.आई के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति भी की गई। इसके अतिरिक्त खाद्य विनियामक की पहुँच बढ़ाने के प्रयोजन से फोकल क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए मुंद्रा, अहमदाबाद इत्यादि में नए कार्यालय खोलने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

'ईट राइट इंडिया' अभियान के माध्यम से एफ.एस.एस.ए.आई ने देश के खाद्य ईकोसिस्टम में सुधार करने के प्रयत्न जारी रखे। ऐसा इसने अपनी बेंचमार्किंग और प्रमाणन योजनओं तथा समूह पहलों के माध्यम से किया। इसका प्रयोजन खाद्य प्रतिष्ठानों में अवसंरचना में सुधार करना तथा स्वच्छता अनुपालन कराना था, चाहे वे स्थल जेल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएँ, धार्मिक स्थल, स्ट्रीट फूड विक्रता हों या फल और सब्जी मंडियाँ हों। अब तक 28 स्ट्रीट फूड केंद्रों तथा 100 से अधिक कैंपसों को प्रमाणित किया जा चुका है।

मीडिया पूछताछ के लिए संपर्क करें:
रुचिका शर्मा,
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
ई: *sharmaruchika.21@gmail.com*